न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 130/**19 (वाद)**

1. श्री रामा पिता स्व. देवा भील निवासी किशनपुरा, वेरा, घणोली तह. मावली।
2. श्री पुरा पिता स्व. देवा भील निवासी किशनपुरा, वेरा, घणोली तह. मावली।
3. श्री दिलीप पिता स्व. उदा भील निवासी किशनपुरा, वेरा, घणोली तह. मावली।
4. श्री किशन पिता स्व. उदा भील निवासी किशनपुरा, वेरा, घणोली तह. मावली।
5. श्रीमती देवली पत्नी स्व. उदा भील निवासी किशनपुरा, वेरा, घणोली तह. मावली।
6. रकुडी पुत्री स्व. उदा भील निवासी किशनपुरा, वेरा, घणोली तह. मावली।
7. लाली पुत्री स्व. उदा भील निवासी किशनपुरा, वेरा, घणोली तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. मावली तह. मावली।
2. पटवारी साहब पटवार हल्का नामरी तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता वादीगण।

2. श्री राजपेरोकार मावली।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 16.09.2019

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा घणोली पटवार हल्का नामरी की आराजी नम्बर 150 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में हम वादी सं. 1 व 2 के पिता एवं वादी सं. 3 से 7 के दादा स्व. देवा जी भील के नाम 1/2 हक हिस्से से दर्ज हैं।
2. उक्त आराजीयात से संबंधित सजरा खानदान इस प्रकार है :–

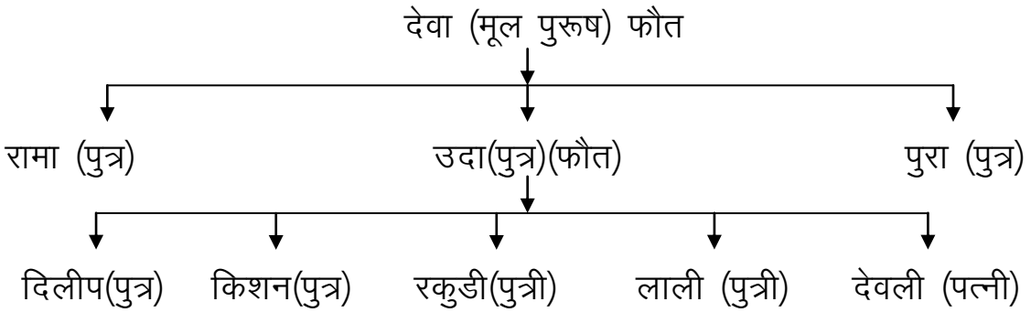

3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात के 122 हक हिस्सा भुमि पूर्व में हम वादी सं. 1 व 2 के पिता व वादी सं. 3 से 7 के दादा स्व. देवा जी के कब्जे काश्त थी तथा स्व. देवा जी का देहावसान दिनांक 19.05.1992 हो गया हैं तथा स्व. देवा

जी के देहावसान के बाद उक्त वाद में वर्णित आराजीयात के 1/2 हिस्सा भूमि स्व. देवा जी वारिस वादी सं. 1 व 2 व वादी सं. 3 से 7 के पिता/पति उदा जी के क्रमशः 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से कब्जे काश्त में आई, उसके पश्चात् वर्ष 2014 में हम वादी सं. 3 से 7 के पिता/पति स्व. उदा जी का दिनांक 29.08.2014 को निधन हो गया।

4. उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्सा भूमि पर कब्जा हम वादीगणो का हमारे पिता/दादा स्व. देवा जी के जीवनकाल से ही चला आ रहा हैं तथा उक्त आराजीयात पर हम वादीगण अपने अपने हिस्सेनुसार कब्जेकाश्त होकर खेती करते आ रहे है परन्तु अभी वर्तमान तक उक्त आराजीयात के विरासत नामान्तरण हम वारिसों के पक्ष नहीं हुआ जबकि हम वादीगण के पिता/दादा स्व. देवा जी की मृत्यु के बाद उनका सम्पूर्ण 1/2 हिस्से की जमीन हम वादीगण कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे है इसलिए हम वादीगण स्व. देवा जी के उक्त 1/2 हिस्सा भूमि में खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।

5. उक्त आराजीयात में हम वादीगणों को स्व. देवा जी की जमीन में जन्म से अधिकार मिल गये है क्योंकि उक्त आराजीयात पैतृक सम्पति है जिसमें 1/2 हिस्सें पर हम वादीगण कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे है पूर्व में उक्त 1/2 हिस्सा हम वादीगणों के पिता/दादा स्व. देवा जी के कब्जे काश्त में था केवल मात्र राजस्व रेकार्ड में हमारा नाम इन्द्राज नहीं होने से हम वादीगण स्व. देवा जी के उक्त आराजीयात में वर्णित 1/2 हिस्से में अपना अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

6. उक्त वर्णित आराजीयात में हम वादीगण के पिता/पति स्व. देवा जी के जीवनकाल से ही अर्थात् करीब 20 वर्षों से कब्जे काश्त होकर निर्बाध रूप से खेती करते आ रहे हैं इस कारण हम वादीगण स्व. देवा जी की जमीन में खातेदारी हक से अपना अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

7. वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला है चूंकि वादी सं. 1, 2 व वादी सं. 3 से 7 के पिता/पति स्व. उदा जी, स्व. देवा जी के वारिस होने से हम वादीगणों को उक्त आराजीयात जमीन में जन्म से स्वामित्व एवं आधिपत्य मिल चुका है एवं विगत 20 वर्षों की लम्बी समयावधि व निरन्तर रूप से भी हम वादीगण व उक्त

वाद में वर्णित आराजीयात में स्व. देवा जी के 1/2 हिस्से पर कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे है इसलिए हम वादीगण वाद वर्णित स्व. देवा जी के नाम की आराजीयात में अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं यदि हम वादीगणों का नाम उक्त वर्णित आराजीयात में खातेदार की हैसियत से दर्ज नहीं किया गया तो हम वादीगणों को होने वाली क्षति का मूल्यांकन रूपयों पैसों नहीं किया जा सकता हैं।

8. सुविधा संतुलन भी हम वादीगण के पक्ष में है चूंकि वादी सं. 1, 2 व वादी सं. 3 से 7 के पिता/पति स्व. उदा जी, स्व. देवा जी के वारिस होने से स्व. देवा जी की आराजीयात में विरासत से वादी सं. 1 व 2 का क्रमशः 1/3, 1/3 हिस्सा व वादी सं. 3 से 7 के पिता/पति स्व. उदा जी का 1/3 हिस्सा बनता है चूंकि उदा जी का निधन हो चुका है जिसके वारिस हम वादी सं. 3 से 7 है इस प्रकार हम वादीगण स्व. देवा जी विधिक वारिस होने के नाते उक्त आराजीयात में अपना–अपना नाम खातेदारी हक से दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

9. हम वादीगणों ने राजस्व जमाबन्दी के खाते की नकल निकलवाई तो पता चला कि अभी उक्त वाद में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात स्व. देवा जी के नाम पर दर्ज है इस पर हम वादीगणों ने दिनांक 25.08.2019 को प्रतिवादी सं. 2 व ग्राम पंचायत नामरी से हमारा हिस्सा हमारे नाम पर करवाने को कहा परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने कोई ध्यान नहीं दिया जिससे वाद कारण पैदा हुआ जो निरन्तर जारी हैं।

10. अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में निम्न आशय की डिक्री प्रदान करायी जावे कि उक्त वाद में वर्णित आराजीयात में स्व. देवा जी के नाम के सम्पूर्ण 1/2 हिस्से का हम वादीगणों को हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें, इसी अनुसार वर्तमान जमाबन्दी में नाम दर्ज किया जावें।

11. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में राजपेरोकार द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कोई उजर पेश नहीं किया। पत्रावली में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री दिलीप पिता उदा के पेश किये।

12. वादी द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, ग्राम पंचायत का प्रमाणित सजरा प्रदर्श 2, देवा का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, उदा का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 पेश कियें।

13. प्रकरण में अधिवक्ता वादी व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि दस्तावेज के आधार पर वाद स्वीकार किया जाने पर सहमति जाहिर की।

14. हमने पत्रावली का अवलोकन किया दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राजपेरोकार की बहस पर बगौर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में देवा पिता दौला भील के नाम दर्ज हैं। वादीगण देवा के वारिस हैं। देवा फौत हो चुका हैं। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 हैं। देवा के तीन पुत्र रामा, उदा, पुरा हुए। उदा की भी मृत्यु हो चुकी हैं। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 हैं। जिसके वारिस वादी सं. 3 से 7 हैं। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण हिस्सेनुसार काबिज हैं। देवा की मृत्यु के पश्चात् भूमि विरासत से वादीगण के नाम दर्ज नहीं हुई हैं। सजरे में अंकित वारिस के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना बताया हैं। वादीगण देवा के विधिक वारिस होने से वादीगण हिस्सेनुसार भूमि अपने नाम दर्ज हिस्सेनुसार दर्ज कराने के अधिकारी हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर किया जाता हैं कि मौजा घणोली पटवार हल्का नामरी की आराजी नम्बर 150 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि में खातेदार देवा के बजाय वादी सं. 1 को 1/3, वादी सं. 2 को 1/3, व वादी सं. 3 से 7 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खातेदार सुरता पिता गमेरा का हिस्सा 1/2 यथावत् रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास मोहन सिंह, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री रामा पिता स्व. देवा भील निवासी किशनपुरा, वेरा, घणोली तह. मावली।
2. श्री पुरा पिता स्व. देवा भील निवासी किशनपुरा, वेरा, घणोली तह. मावली।
3. श्री दिलीप पिता स्व. उदा भील निवासी किशनपुरा, वेरा, घणोली तह. मावली।
4. श्री किशन पिता स्व. उदा भील निवासी किशनपुरा, वेरा, घणोली तह. मावली।
5. श्रीमती देवली पत्नी स्व. उदा भील निवासी किशनपुरा, वेरा, घणोली तह. मावली।
6. रकुडी पुत्री स्व. उदा भील निवासी किशनपुरा, वेरा, घणोली तह. मावली।
7. लाली पुत्री स्व. उदा भील निवासी किशनपुरा, वेरा, घणोली तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. मावली तह. मावली।
2. पटवारी साहब पटवार हल्का नामरी तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 130/19 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मोहन सिंह R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर किया जाता हैं कि मौजा घणोली पटवार हल्का नामरी की आराजी नम्बर 150 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि में खातेदार देवा के बजाय वादी सं. 1 को 1/3, वादी सं. 2 को 1/3, व वादी सं. 3 से 7 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खातेदार सुरता पिता गमेरा का हिस्सा 1/2 यथावत् रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.09.2019 को जारी की गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली